

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड I
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 1979/भाद्र 2, 1901
No. 174] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 1979/BHADRA 2, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहायिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना संख्या-58 ईटीसी (पीएन)/79

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1979

विषय :-- 1979-80 के दौरान छिलका रहित माखुन नागियल का निर्यात

निसिल संख्या 38/16/79-ई-2--उपर्युक्त विषय पर, भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश संख्या-ई (सी) अं० 1977/एन० (133) दिनांक 24 अगस्त, 1979 की प्रती ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उच्चतम निश्चित सीमा के अन्तर्गत छिलका रहित माखुन नागियल के निर्यात की अनुमति देने का निश्चय किया गया है।

3. तदनुसार, निर्यात नीति पुस्तक 1979-80 के पृष्ठ-26 पर के नीति विवरण में क्र० सं०-98 पर निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :--

अनुसूची-1 के भाग 'ख' के अनुसार क्रम संख्या	सद का विवरण	लाभसेत निति
98	छिलका रहित साबुत नारियल	निर्यात उच्चतम निर्धारित सीमा के अन्तर्गत न्यूनतम जहाज पर निःशुल्क मूल्य 24 रुपए प्रति किलो की शर्त के अधीन अनुमेष्य होगा।
		सी० वेण्कटरमन, मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE No. 38.ETC(PN)/79

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th August, 1979

Subject : Export of Decorticated Coconut Whole during 1979-80.

F. No. 38/16/79-EII.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM (133) dated the 24th August, 1979, published in the Gazette of India Extraordinary, on the above subject.

2. It has been decided to allow the export of Decorticated coconut whole within a limited ceiling.

3. Accordingly the following entry shall be added as S. No. 98 in the Policy Statement at Page 26 of the Export Policy Book, 1979-80 :-

Sl. No. as in Part 'B' of Schedule I	Description of the item.	Licensing Policy
98	Decorticated Coconut whole	Export will be allowed within a limited ceiling subject to minimum f.o.b. value of Rs. 24 per kg.

V. VENKATARAMAN, Chief Controller
of Imports & Exports.